रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 1989/आश्विन 20, 1911
No. 655] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 1989/ASVINA 20, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1989

का.आ. 813 (अ) :—स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 5 के खंड (ङ) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री एम.पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को श्री एन.एन. बक्षी के स्थान पर स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा औ—

संस्थान चण्डीगढ़ के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 13 अक्तूबर, 1987 की अधिसूचना संख्या का. आ. 934 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है :

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 के सामने "श्री एम.एस. बक्शी" शब्दों के स्थान पर "श्री एम.पी. गुप्ता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायगा ।

[संख्या वी-17013/2/87-एमई (पी जी)]

आर के. आहूजा, संयुक्त सचिव)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1989

S.O. 813 (E).—In pursuance of clause (d) of section 5 read with sub-section (1) of Section 6 of the Post Graduate Institute of Medical Education & Fesearch, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri M. P. Gupta, Joint Secretary and Financial Adviser, Ministry of Health and Family Welfare to be a member of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh vice Shri N. S. Bakshi, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Famil Welfare S. O. 934 (E), dated the 13th October, 1987.

In the said notification against S. No. 1, for the words "Shri N. S. Bakshi" the words "Shri M. P. Gupta" shall be substituted.

[No. V-17013|2|87-ME (PG)]
R. K. AHOOJA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989